

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित बुद्धि विहार व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक भूखण्ड को ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर।

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक—16/07/2024

पंजीकरण समाप्ति दिनांक—16/08/2024

व्यवसायिक सम्पत्ति का विवरण:—

सम्पत्ति का प्रकार	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या	व्यवसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	
				सामान्य वर्ग न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत	आरक्षित वर्ग न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 5 प्रतिशत
व्यवसायिक भूखण्ड	01	4800.28	45,23,11,184.00	4,52,31,119.00	2,26,15,560.00

नोट:—पंजीकरण हेतु क्या करें:—

- पंजीकरण विवरण पुस्तिका ₹0—1000.00 (जी0एस0टी0 सहित) किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित अवधि के अन्दर ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके प्राधिरण की वेबसाइट www.gdagkp.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- निर्धारित पंजीकरण धनराशि ऑनलाइन प्राधिकरण निधि में जमा करना होगा।
- ई-नीलामी हेतु पंजीकृत आवेदकों के मध्य उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में व्यवसायिक भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा।
- भूखण्ड का आवंटन जहाँ है जैसे है के आधार पर किया जायेगा।
- विशेष जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में उप प्रभारी सम्पत्ति/सहायक सम्पत्ति अधिकारी/सहायक जन सम्पर्क अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

सम्पर्क करें:—

फोन नं 0 0551—2230132,

टोल फ्री नं 0—18001202246

सचिव

उपाध्यक्ष